UPM0010066342026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–11, मुरादाबाद।

उपस्थितः घनेन्द्र कुमार (J.O.Code No.–UP.1664)..... एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थनापत्र सं0– 1902/2026

सचिन उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र दिग्विजय सिंह उर्फ डिग्गी ग्राम बैजनाथपुर, थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद।

––– आवेदक/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

––– विपक्षी।

अपराध संख्या– 152/2026
धारा–351(3), 87 बी0 एन 0 एस 0
थाना–ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद।

दिनांक–18.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त सचिन की ओर से मु.अ.सं.–152/2026, अन्तर्गत धारा– 351(3), 87 बी0 एन 0 एस 0, थाना– ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हरीराम सिंह द्वारा दाखिल शपथपत्र के अनुसार अभियुक्त का इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय व अन्य किसी न्यायालय में न ही प्रचलित है, न ही लम्बित है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी मुकदमा द्वारा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद पर दिनांक 25.05.2026 को समय 23.11 बजे इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी कि उसके गांव का लड़का शिवा पुत्र डीग्गी सिंह ग्राम बैजनाथपुर, थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उससे शादी करना चाहता था। शादी का

Digitally signed by GHANENDRA KUMAR
Date: 2026.06.18 15:39:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा कुछ अश्लील वीडियो बना ली थी। शिवा ने वीडियो की आड़ में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके घर वालो को पता चला। उसके घर वालो ने दिनांक 23.03.2026 को अन्य लड़के से शादी करा दी। शादी के बाद शिवा आग बबूला हो गया और वादिनी को जान से मारने की धमकी देने लगा और बार बार मिलने के लिए बुलाता था। शिवा वादिनी को फोन करके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। वादिनी का पति छोड़ने के लिए कहता है। दिनांक 20.05.2026 को समय करीब 12.30 बजे दोपहर वादिनी को शिवा जबरदस्ती उसकी ससुराल ग्राम सुल्तानपुर मुंडा, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद से उठाकर ले गया। उसके साथ शिवा का भाई सचिन व दो अज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने जबरदस्ती वादिनी को अपनी मोटर साईकिल पर तमंचा दिखाकर बैठाया। मौहल्ले के लोगों ने पीछा किया तो शिवा वादिनी को भोजपुर थाने में छोड़कर भाग गया। शिवा वादिनी के भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना स्थल से थाने की दूरी 20 कि0मी0 है। एफ0आई0आर0 पांच दिन के विलम्ब से लिखायी गयी है जो कि संदिग्ध है। वास्तविकता होती तो डायल 112 पर काल की जा सकती थी और थाने पर भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा है कि शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ सम्बन्ध बनाये। तहरीर के इस आरोप से अभियुक्त सचिन का कोई सम्बन्ध नही है। तहरीर के मुताबिक अभियुक्त पर मात्र आरोप मोटर साईकिल पर बैठाकर थाना भोजपुर पर छोड़ने का है। असत्य आरोपो से सम्बन्धित कोई भी वीडियो, आडियो, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य घटना से सम्बन्धित वादी के पास मौजूद होता तो एफ.आई.आर. या बयानो में लिखा होता। आरोप असत्य काल्पनिक व निजी मन्तव्य पर आधारित है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त मामले में दौरान विचारण प्रतिभू पर मुक्त करने का आदेश पारित किया जावे।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी/पीड़िता को डरा धमकाकर मोटर साईकिल पर बैठाकर लेकर चले गये तथा गांव वालो के शोर करने पर डरकर थाना भोजपुर में छोड़ दिया तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः

जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त जमानत प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा/पीड़िता को उसकी ससुराल से उठाकर मोटर साईकिल पर ले जाने तथा गांव वालो द्वारा पीछा करने पर डरकर भोजपुर थाने पर छोड़ जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेपण लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोपित सभी धाराएं अधिकतम सात वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध की श्रेणी में आती है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रस्तुत प्रकरण में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

8. आवेदक/अभियुक्त सचिन की ओर से मु.अ.सं.– 152/2026, धारा– 351(3), 87 बी0 एन 0 एस 0, थाना– ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

9. अभियुक्त की ओर से मुब 0 25,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक –18.06.2026

(घनेन्द्र कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–11, मुरादाबाद।
J.O.Code No.U.P.1664